प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– ओ.पी. ए.सी.बी नागौर, थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर।
   वर्ष–2022 प्र0इ0रि0 सं. 299 दिनांक.. 29/7/2022

2. **(I)** अधिनियम :– धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018
   (II) अधिनियम ..... धारायें .....
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....538..... समय .....4:00 Pm.
   (ब) अपराध घटने का दिन – गुरूवार, दिनांक 28.07.2022 समय 08.10 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...27.07.2022...समय..... 11.00 ए.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बजानिब पूर्व करीब 100 कि.मी.
   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. (i) परिवादी :–
   (अ) नाम – श्री महेश बिजारणियां
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री मोतीलाल
   (स) जन्म तिथी– उम्र – 34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय – सोलर व्यवसायी
   (ल) पता – निवासी बल्दू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

   1. डा0 श्री इन्द्राराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा पुलिस थाना दांता रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना, जिला नागौर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
   .....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य – 5,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिषक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो, नागौर
राजस्थान

विषय :– डॉ. इन्द्राराम रणवां को रिस्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं महेश बिजारणियां पुत्र मोतीलाल जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी बल्दु जिला नागौर का रहना वाला हूँ। मेरे मामजी तुलछाराम जी का बांगड़ राजकीय अस्पताल में दिनांक 25.07.2022 को अपेन्डिक्स का ऑपरेशन हुआ था। जिस पर डॉ0 इन्द्राराम रणवा PMO से मैं मिला तो डॉ0 साहब ने कहा कि ऑपरेशन व इलाज करने के लिए मुझे 5 हजार रू देने होंगे। नहीं रू दोगे तो सही ईलाज नहीं करूंगा। मैं मेरे वाजिब काम के बदले डॉ0 साहब को रिस्वत

नहीं देना चाहता, रिस्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा डॉ0 साहब से कोई उधार लेन–देन नहीं है तथा नहीं कोई रंजीश है। कानूनी कार्यवाही करें।

दिनांक 27.07.2022

प्रार्थी
एसडी महेश
महेश बिजारणियां S/O मोतीराम
निवासी बल्दू जिला नागौर
मो.नं. 8209819585

कार्यवाही पुलिस

निवेदन है कि दिनांक 27.07.2022 को वक्त 11.00 ए.एम. पर प्रार्थी श्री महेश बिजारणियां पुत्र मोतीलाल जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी बल्दु तहसील लाडनूं जिला नागौर ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि "मैं महेश बिजारणियां पुत्र मोतीलाल जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी बल्दु जिला नागौर का रहना वाला हूँ। मेरे मामजी तुलछाराम जी का बांगड़ राजकीय अस्पताल में दिनांक 25.07.2022 को अपेन्डिक्स का ऑपरेशन हुआ था। जिस पर डॉ0 इन्द्राराम रणवा PMO से मैं मिला तो डॉ0 साहब ने कहा कि ऑपरेशन व इलाज करने के लिए मुझे 5 हजार रू देने होंगे। नहीं रू दोगे तो सही ईलाज नहीं करूंगा। मैं मेरे वाजिब काम के बदले डॉ0 साहब को रिस्वत नहीं देना चाहता, रिस्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा डॉ0 साहब से कोई उधार लेन–देन नहीं है तथा नहीं कोई रंजीश है। कानूनी कार्यवाही करें।" परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि दिनांक 25.07.2022 को मेरे मामा श्री तुलछाराम के अपेन्डिक्स का ऑपरेशन राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना में डॉ0 इन्द्राराम रणवां ने किया था जिस पर मैं डॉक्टर से उनके सही ईलाज व छुट्टी हेतु मिला तो आरोपी डॉ0 इन्द्राराम ने मेरे मामा का सही ईलाज करने व छुट्टी देने के लिए 5,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग की। रिश्वत नहीं देने पर सही ईलाज नहीं करने का कहा। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर अलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री महेश बिजारणियां को उसे ऑपरेट करनें की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री बालाराम कानि0 554 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत कर श्री बालाराम कानि0 554 एवं परिवादी श्री महेश बिजारणियां को कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना के लिए रवाना किया गया। वक्त 03.15 पी.एम. पर श्री बालाराम कानि0 554 ने जरीये फोन मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन हो चुका है। जिस पर श्री बालाराम कानि0 को मय परिवादी के उपस्थित कार्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहों की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के नाम की तहरिर देकर रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री अर्जुनराम पुत्र श्री घनश्याम जाति ब्राह्मण उम्र 32 वर्ष निवासी ब्राह्मणों का बड़ा बास, ग्राम पोस्ट रूण तहसील मूण्डवा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर हाल वाणिज्यिक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता(सिविल) ए.वी.वी.एन.एल., नागौर तथा श्री साजिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल मजीद जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी आकाशवाणी के पास, नागौर पुलिस थाना कोतवाली नागौर जिला नागौर हाल सहायक प्रथम कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (योजना) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। कुछ देर बाद श्री बालाराम कानि0 554 मय परिवादी श्री महेश बिजारणियां के उपस्थित चौकी आया तथा वॉयस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। परिवादी नें बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम बस से रवाना होकर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना पहूंचे जहां पर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के सामने मैं वॉयस रिकॉर्डर चालू कर डॉ0 श्री इन्द्राराम से मिलने राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना के अन्दर सरकारी क्वार्टर में गया जहां मुझे डॉ0 इन्द्राराम मिले जिनसे मैने मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की वह उनके कहे अनुसार कितने रुपये देने के बारे में पूछने पर डॉ0 इन्द्राराम ने मुझसे कहा की सही ईलाज के लिए आपको 5000 रूपये देने पड़ेंगे तथा शाम को रूपये लेकर आने का बोला। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके कानि0 श्री बालाराम को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। उसके बाद हम दोनों वहां से रवाना

होकर यहां पर आ गये। इसके पश्चात् श्री बालाराम कानि0 554 नें परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी श्री महेश बिजारणियां ने बताया कि डॉ0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना के कहेनुसार उसको रिश्वत के रुपये आज शाम को देने थे लेकिन मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं होने से मैं सुबह जल्दी व्यवस्था कर डॉ0 साहब को रूपये दूंगा। ताबाद परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अर्जुनराम व श्री साजिद हुसैन को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होनें सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बननें की सहमती प्रदान की। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशी की व्यवस्था कर कल सुबह उपस्थित होने हेतु हिदायत की गई तो परिवादी ने बताया कि बारीश का मौसम है मैं सुबह जल्दी आने में असमर्थ हूं। मैं आपके निर्देशानुसार कस्बा डीडवाना नागौर रोड़ पर मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी को कस्बा डीडवाना से बाहर नागौर रोड़ पर सुबह 07.15 ए.एम. पर मिलने की हिदायत कर रूखसत किया गया तथा दोनों गवाहान को सुबह 05.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28.07.2022 को पूर्व से पाबंद सुदा कार्यालय हाजा का स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान श्री अर्जुनराम व श्री साजिद हुसैन उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ताबाद मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री अर्जुनराम व श्री साजिद हुसैन मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, तुलछाराम हैड कानि0 94, नेमीचन्द कानि0 405, कुमेरदान कानि0 194, बालाराम कानि0 554, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना को रवाना होकर कस्बा डीडवाना के बाहर नागौर रोड़ पर पहुंची। जहां पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री महेश बिजारणियां उपस्थित मिला। जिस पर सरकारी व प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेश बिजारणियां को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना को बतौर रिश्वत देने के लिए अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रूपये का एक नोट	3AG 062429
2	पांच सौ रूपये का एक नोट	6DW 102951
3	पांच सौ रूपये का एक नोट	4BW 055763
4	पांच सौ रूपये का एक नोट	9AP 423818
5	पांच सौ रूपये का एक नोट	3AK 796953
6	पांच सौ रूपये का एक नोट	9AW 439614
7	पांच सौ रूपये का एक नोट	5DM 597065
8	पांच सौ रूपये का एक नोट	5DM 597064
9	पांच सौ रूपये का एक नोट	1CB 484651
10	पांच सौ रूपये का एक नोट	3MF 137523

तत्पश्चात् सरकारी गाड़ी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकालकर उपर्युक्त सभी नोटों को अखबार पर रखकर सरकारी गाड़ी बोलेरो के बीच की सीट पर कार्यालय के श्री कुमेरदान कानि0 194 से हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री महेश बिजारणियां की जामा तलाशी गवाह श्री अर्जुनराम से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। श्री कुमेरदान कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 5,000/रूपये परिवादी श्री महेश बिजारणियां के पहने पायजामें की दायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री महेश बिजारणियां को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर

कर ईशारा करें तथा मन् निरीक्षक पुलिस को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन–देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् कार्यालय से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री कुमेरदान कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड में दुरूस्त रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है उसे जलवाया जाकर गिलास व श्री कुमेरदान कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी को वक्त रिश्वत लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा कानि0 श्री कुमेरदान को वापिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर रवाना किया गया। ताबाद वक्त 07.50 ए.एम. पर परिवादी श्री महेश बिजारणियां व श्री बालाराम कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु आगे–आगे रवाना कर उनके पिछे मन् पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई मय स्वतंत्र गवाहान श्री अर्जुनराम व श्री साजिद हुसैन मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48, तुलछाराम हैड कानि0 94, नेमीचन्द कानि0 405, कुमेरदान कानि0 194, राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना को रवाना होकर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना के पास पहुंचे जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के अन्दर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना के आस–पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करनें लगे। समय 08.10 ए.एम. पर परिवादी श्री महेश बिजारणियां ने राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना के परिसर में खड़ा होकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास चिकित्सालय परिसर में पहुंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री महेश बिजारणियां नें मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना से उनके किराये के निजी क्लीनिक में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा रिश्वत राशि के बारे में बातचीत की तो डा0 इन्द्राराम रणवां द्वारा रिश्वत की मांग करने पर मैंने अपने पहने पायजामें की दायीं जेब में से रिश्वत राशि निकालकर डा0 इन्द्राराम रणवां को दिये तो डॉ0 इन्द्राराम ने रुपये अपने दाहिनें हाथ में लेकर अपने पहनी हुई जींस पेन्ट की दायीं जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको चिकित्सालय डीडवाना परिसर में आकर अपने सिर पर हाथ फैर कर ईशारा कर दिया। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व स्टाफ के साथ चिकित्सालय परिसर के अन्दर गये तो परिसर में बने सहकारी भंडार की दूकान में बने क्लीनिक में बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही डॉ0 इन्द्राराम है, जिसने मेरे से अभी–अभी 5,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डा0 श्री इन्द्राराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा पुलिस थाना दांता रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर होना बताया। डॉ0 इन्द्राराम को परिवादी श्री महेश बिजारणियां से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो डॉ0 इन्द्राराम ने बताया कि मैने श्री महेश बिजारणियां से कोई रिश्वत नहीं ली, जिस पर पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री महेश बिजारणियां से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। उसने अपनी मर्जी से 5,000/– रूपये मुझे दिये है जो मेरी जेब में है। डॉ0 इन्द्राराम के उक्त कथन पर परिवादी श्री महेश बिजारणियां नें स्वतः ही बताया कि कल

दिनांक 27.07.2022 को मैं डॉ0 इन्द्राराम से राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना में मिला तथा दिनांक 25.07.2022 को मेरे मामा श्री तुलछाराम के हुए अपेन्डिक्स ऑपरेशन तथा सही ईलाज कर छुट्टी देने के संबंध में पूछा तो आरोपी ने मेरे मामा का सही ईलाज कर छुट्टी देने की एवज में 5,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जो आज दिनांक को देना तय होने पर मैंने इनके कहेनुसार 5,000 रूपये अभी–अभी इनको दिये हैं, इन्होंने रूपये दाहिनें हाथ में लेकर पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में रख लिये थे इसके बाद मैंने चिकित्सालय परिसर में आकर आपको ईशारा किया था। रिश्वत लेने की ताईद होने पर डॉ0 इन्द्राराम का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः कानि0 श्री नेमीचन्द व श्री कानाराम से पकड़वाये गये। गवाह श्री अर्जुनराम से आरोपी डॉ0 इन्द्राराम की जामा तलाशी लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में 5,000/– रूपये मिले। जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री अर्जुनराम से गिनवाये गये तो पांचसौ–पांचसौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों ने रिश्वती राशि 5,000/– रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त सभी नोटो (5,000/–रूपये) को कागज की एक चिट में सील बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH–1 व RH–2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH–1 व LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना के पहनने हेतु दूसरी पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी जींस पेन्ट बरंग नीला को उतरवाकर जींस पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्ट कर घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P–1 व P–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन्ट बरंग नीला की दाहिनी जेब को उलटकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत सिल्ड चिट कर मार्क ' S–1' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। (**नोट** – राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना परिसर में भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना डीडवाना लेकर पहुंची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष में शुरू की गई।) आरोपी से परिवादी श्री महेश बिजारणियां के मामा श्री तुलछाराम के अपेन्डिक्स ऑपरेशन के कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी डॉ0 इन्द्राराम रणवां ने बताया कि श्री तुलछाराम के अपेन्डिक्स का ऑपरेशन दिनांक 25.07.2022 को हो चुका है। अभी फीवर होने की वजह से छुट्टी देने की स्थिति में नहीं है। श्री तुलछाराम के ऑपरेशन व ईलाज से संबंधित कागजात हॉस्पिटल में ही है, जिन्हें आईन्दा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जायेगा। परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन की वार्ता की पुष्टि होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर द्वारा परिवादी के मामा श्री तुलछाराम के राजकीय चिकित्सालय डीडवाना में हुए अपेन्डिक्स ऑपरेशन का सही ईलाज कर छुट्टी देने की एवज में आरोपी डा0 इन्द्रराम रणवां द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 5,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 5,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें पर आरोपी डा0 श्री इन्द्राराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा पुलिस थाना दांता रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी डा0 श्री इन्द्राराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा पुलिस थाना दांता रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात

मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद मन् पुलिस मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार सुदा आरोपी डॉ0 इन्द्राराम मय ट्रेप दल के सदस्य मय सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर व मय माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना डीडवाना से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा वॉयस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर में दर्ज वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की दो डीवीडियां पृथक–पृथक बनवाई गई। ताबाद वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर न्यायालय हेतु तथा वार्ता की दोनों डीवीडियां कागज के लिफाफे में बन्द कर आरोपी व अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामद रिश्वत राशि 5,000/– रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2 व P–1, P–2, आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर की जींस पेन्ट बरंग नीली शील्ड शुदा मार्क S–1, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड मूल व आरोपी हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक डीवीडी, वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता का मैमोरी कार्ड मूल व आरोपी हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक डीवीडी माल मालखाना प्रभारी श्री सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. 48 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय–समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री डा0 इन्द्राराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर द्वारा परिवादी के मामा श्री तुलछाराम के राजकीय चिकित्सालय डीडवाना में हुए अपेन्डिक्स ऑपरेशन का सही ईलाज कर छुट्टी देने की एवज में आरोपी डा0 इन्द्राराम रणवां द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 5,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुशरण में 5,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जानें पर आरोपी डा0 श्री इन्द्राराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां जाति जाट उम्र 44 वर्ष निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा पुलिस थाना दांता रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्व करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीया,

(सुशीला बिश्नोई)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नागौर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुशीला विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री डा0 इन्द्राराम रणवां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 299/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2620-25 दिनांक 29.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-1, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव,कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

29.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।